

सिर्फ जंगल ही नहीं: जलवायु कार्रवाई के केंद्र में क्यों होने चाहिए

UPSC प्रासंगिकता – GS पेपर III – पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन


चर्चा में क्यों?

IAS-PCS Institute

हाल ही में UNFCCC COP30 सहित वैश्विक जलवायु मंचों पर हुई बहसों और वैज्ञानिकों की बढ़ती वकालत ने जलवायु शासन (climate governance) की एक बड़ी कमी की ओर ध्यान खींचा है—घास के मैदानों और सवाना (savannahs) की लगातार हो रही अनदेखी। कार्बन सोखने की विशाल क्षमता, पारिस्थितिक महत्व और स्वदेशी समुदायों की आजीविका में भूमिका के बावजूद, जलवायु नीतियों में अब भी केवल जंगलों को प्राथमिकता दी जा रही है। यह असंतुलन जलवायु परिवर्तन से लड़ने और जैव विविधता संरक्षण, दोनों प्रयासों को कमजोर कर सकता है।

पृष्ठभूमि: जलवायु कार्रवाई केवल 'वन-केंद्रित' कैसे बनी?

1990 के दशक से ही वैश्विक जलवायु रणनीतियों पर जंगलों का दबदबा रहा है। REDD+ और कार्बन क्रेडिट बाजार जैसे तंत्रों को ही कार्बन सोखने का प्राथमिक साधन मानते हैं। COP30 में 'ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी' (TFFF) की घोषणा ने इस सोच को और मजबूत किया।



हालांकि, यह मॉडल एक गलत धारणा पर आधारित है कि केवल दिखने वाले घने पेड़ ही बेहतर कार्बन सिंक (carbon sinks) होते हैं। हकीकत में, घास के मैदान जमीन के नीचे, अपनी गहरी जड़ों और मिट्टी की परतों में भारी मात्रा में कार्बन जमा करते हैं। यह जंगलों की तुलना में अधिक स्थिर भंडार होते हैं, क्योंकि जंगलों में आग, कीटों और कटाई का खतरा अधिक होता है।

घास के मैदानों पर खतरा: एक मौन संकट के कारण

आज घास के मैदान दुनिया के सबसे लुप्तप्राय पारिस्थितिक तंत्रों में से एक हैं। इसके मुख्य कारण हैं:

- खेती का विस्तार और व्यावसायिक फसलें (Monocultures)।
- वनीकरण (Afforestation): घास के मैदानों को 'बंजर भूमि' मानकर वहां जबरन पेड़ लगाना।
- आक्रामक प्रजातियां (Invasive species) जो जंगल की आग को और भड़काती हैं।
- खनन और जीवाश्म ईंधन की निकासी।
- स्वदेशी समुदायों की पारंपरिक प्रबंधन पद्धतियों पर रोक।

स्वदेशी ज्ञान और जमीनी समाधान

IAS-PCS Institute

ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी घास के मैदानों का उदाहरण बताता है कि स्वदेशी संरक्षण कितना प्रभावी है। 'इंडिजिनस डेजर्ट एलायंस' (IDA) जैसे संगठन दिखाते हैं कि कैसे पारंपरिक तरीके, जैसे कि नियंत्रित आग का उपयोग और पारिस्थितिक निगरानी, इन मैदानों को लचीला बनाए रखते हैं। यह इस मिथक को तोड़ता है कि संरक्षण के लिए इंसानों को प्रकृति से अलग करना जरूरी है।



पारिस्थितिक अंतर्संबंध: जंगलों के लिए घास के मैदान क्यों जरूरी हैं?

ब्राजील के 'सेराडो' (Cerrado) जैसे सवाना क्षेत्र ब्राजील की 12 प्रमुख नदियों में से 8 का आधार हैं। यदि सेराडो नष्ट होता है, तो अमेज़न के जंगल भी नहीं बचेंगे। यह दर्शाता है कि सभी पारिस्थितिक तंत्र आपस में जुड़े हुए हैं। घास के मैदानों का विनाश जल चक्र और वर्षा के पैटर्न को बिगाड़ देता है, जिससे अंततः पड़ोसी जंगल भी कमजोर हो जाते हैं।



@resultmitra



www.resultmitra.com



9235313184, 9235440806

सामाजिक न्याय और शासन का मुद्दा

घास के मैदानों का क्षरण केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि अधिकारों का भी मुद्दा है:

- स्वदेशी और स्थानीय समुदायों को उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है।
- ब्राजील के कृषि क्षेत्र का लगभग 70% जहरीला कचरा इसी पारिस्थितिक तंत्र में फेंका जाता है।
- अतः, इन क्षेत्रों की रक्षा के लिए भूमि अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय समुदायों की भागीदारी अनिवार्य है।

भारत के घास के मैदान: चुनौतियां और अवसर

भारत में भी स्थिति वैश्विक चुनौतियों जैसी ही है। ATREE के एक अध्ययन के अनुसार, भारतीय घास के मैदान 18 अलग-अलग मंत्रालयों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जिनके लक्ष्य एक-दूसरे से अलग हैं। जहां पर्यावरण मंत्रालय पेड़ लगाने पर जोर देता है, वहीं ग्रामीण विकास मंत्रालय इन्हें 'बंजर भूमि' (Wastelands) मानकर दूसरे कामों के लिए आवंटित कर देता है।

भारत ने 2030 तक 2.5–3 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने का संकल्प लिया है। घास के मैदानों को कार्बन सिंक के रूप में मान्यता देने से:

1. बिना पारिस्थितिक नुकसान के जलवायु लक्ष्यों को पाने में मदद मिलेगी।
2. खुले पारिस्थितिक तंत्र में गलत तरीके से पेड़ लगाने की प्रवृत्ति रुकेगी।
3. भारत की रणनीति वैज्ञानिक प्रमाणों के अनुरूप होगी।



आगे की राह

- ऐसी नीतियां अपनाएं जो सभी पारिस्थितिक तंत्रों (केवल जंगलों की नहीं) को महत्व दें।
- घास के मैदानों को स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों (NDCs) में शामिल करें।
- स्वदेशी और चरवाहा समुदायों के भूमि प्रबंधन अधिकारों को मजबूत करें।
- सरकारी रिकॉर्ड में 'बंजर भूमि' की परिभाषा में सुधार करें।

निष्कर्ष @resultmitra  www.resultmitra.com  9235313184, 9235440806

घास के मैदान कोई फालतू जमीन नहीं हैं; वे जलवायु नियामक और जैव विविधता के भंडार हैं। इन्हें जंगलों से कमतर आंकना वैज्ञानिक समझ और शासन, दोनों की विफलता है। घास के मैदानों की रक्षा करना जंगलों का विकल्प नहीं, बल्कि जलवायु लचीलापन (Climate Resilience) सुनिश्चित करने की एक अनिवार्य शर्त है।

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. घासभूमियों (Grasslands) और जलवायु परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. घासभूमियाँ कार्बन का एक बड़ा हिस्सा अपनी मिट्टी और जड़ प्रणालियों में संचित करती हैं, न कि केवल ऊपर की जैव-भार (above-ground biomass) में।

2. प्राकृतिक घासभूमियों में वनीकरण (Afforestation) करने से हमेशा जैव विविधता और जलवायु शमन के परिणाम बेहतर होते हैं।
3. घासभूमियाँ और सवाना जल-चक्र के नियमन तथा नदी प्रणालियों के समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- A. केवल 1 और 3
- B. केवल 1
- C. केवल 2 और 3
- D. 1, 2 और 3

सही उत्तर: A

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. “वनो को प्राथमिकता देने वाली लेकिन घासभूमियों की उपेक्षा करने वाली जलवायु कार्यवाही पारिस्थितिक रूप से अपूर्ण और सामाजिक रूप से अन्यायपूर्ण है। वैश्विक जलवायु शासन तथा भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में इस कथन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। (250 शब्द)



@resultmitra



www.resultmitra.com



9235313184, 9235440806

**OPTIONAL
SUBJECT**
**वैकल्पिक विषय
PSIR**
Fee - मात्र 6999 ₹
केवल 01 से
06 जुलाई
Dr. Faiyaz Sir

(वैकल्पिक विषय) Optional Subject
GEOGRAPHY
OPTIONAL
Fee - मात्र 6499 ₹
केवल 21 से
26 जून